

(२६) उच्च शिक्षा विभाग

क्र	कार्य, गतिविधि/योजना का नाम	प्रभारी/विहित अधिकारी	निपटारे की समय-सीमा	निर्धारित समयावधि में कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समयसीमा
१	२	३	४	५	६
१	सभी प्रकार के रिफण्ड का भुगतान	महाविद्यालय के प्राचार्य	एक सप्ताह	अतिरिक्त संचालक	१५ दिन
२	महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा	महाविद्यालय के प्राचार्य	पूर्व निर्धारित अंतिम दिन से एक सप्ताह	अतिरिक्त संचालक	१५ दिन
३	अ. छात्रवृत्ति की स्वीकृति	महाविद्यालय के प्राचार्य	३१ अक्टूबर	अतिरिक्त संचालक	१५ दिन
	ब. छात्रवृत्ति का भुगतान	महाविद्यालय के प्राचार्य	आवंटन उपलब्ध होने पर १५ दिवस	अतिरिक्त संचालक	७ दिन
४	पुस्तकों का भ्रंश	महाविद्यालय के प्राचार्य	३१ अगस्त आवंटन से एक माह के भीतर	अतिरिक्त संचालक	३० दिन

नोट :- (१) यदि इस स्तर पर भी शिकायत का निराकरण, निर्धारित समयसीमा में नहीं होता है तो आवेदक अपना आवेदन शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दे सकता है इस स्तर पर भी शिकायत के निराकरण की समयसीमा १५ होगी।


प्राचार्य

शासकीय माता कर्मा
कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द्र